

## सूचना

### नर्स पंजीकरण एवं ट्रेकिंग सिस्टम (NRTS) में स्व-नामांकित नर्स कृपया ध्यान दें

सूचित किया जाता है कि, स्व-नामांकित नर्सों के लिए अब तक आधार आधारित बायोमेट्रिक (फिंगर स्कैनर) पुष्टीकरण संबंधित राज्य उपचर्या पंजीकरण परिषदों में यथोचित पूर्व निर्धारित मिलने के समय पर किया जाता था। अब NIC तथा UIDAI की मदद से NRTS में आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ OTP (वन टाइम पासवर्ड) प्रणाली चालू कर दी गई है। इसके साथ वे सभी नर्स जिन्होंने अभी तक NRTS में अपना नामांकन नहीं किया है, आधार से जुड़े अपने मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करके अपना नामांकन कर सकते हैं तथा अपने आवेदन का पुष्टीकरण भी कर सकते हैं और इसके साथ-साथ सभी प्रमाण-पत्र व फोटो भी अपलोड किए जा सकते हैं (कृपया मूल प्रमाण-पत्रों की स्कैन प्रतियां ही अपलोड करें; प्रमाण-पत्रों की फोटोकॉपी स्कैन न करें)। तत्पश्चात राज्य उपचर्या पंजीकरण परिषद द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा और यदि NUID नंबर प्रदान करने के लिए सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उनका अनुमोदन किया जाएगा।

ऐसे नर्स जो पहले से ही स्व-नामांकित हैं, और राज्य उपचर्या पंजीकरण परिषद में मिलने का समय निर्धारित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें राज्य उपचर्या पंजीकरण परिषद से अपना आवेदन वापस मिल जाएगा। आवेदन वापस मिलने पर नर्स लॉगिन करके OTP के साथ पुष्टिकृत कर तथा फोटो अपलोड कर सकता है और फॉर्म को फिर से जमा कर सकता है। तत्पश्चात राज्य उपचर्या पंजीकरण परिषद द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा और यदि NUID नंबर प्रदान करने के लिए सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उनका अनुमोदन किया जाएगा।

सर्वजीत कौर

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर

सचिव